का0 वि0 प्रा0

ख एवं अज्ञायें

नगर नियोजक / CE / सचिव महोदय / VC Sir

कृपया गत पृष्ठ संख्या–01, 03, 05 व 07 पर अभियंत्रण विभाग की आख्या का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास(अफोर्डेबल हाउसिंग इन–पार्टनरशिप) योजना के अन्तर्गत कानपुर विकास प्राधिकरण को आवास बनाने का लक्ष्य किया गया है। उक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अभियंत्रण विभाग द्वारा प्राधिकरण की पूर्व आवासीय योजना भागीरथी एवं जान्हवी की भूमि पर संयुक्त रूप से निजी कन्सलटेन्ट मैसर्स ऐरिनम कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्रा0लि0, लखनऊ द्वारा तलपट मानचित्र तैयार कराया गया है, जिस पर स्थलीय सत्यापन करते हुए अभियंत्रण विभाग द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

कानपुर महायोजना–2021 के प्रविधानो के अनुसार भागीरथी एवं जान्हवी आवासीय योजनाओं के तलपट मानचित्रों का परीक्षण पूर्व में किया गया था जिसके अनुसार सन्दर्भित भूमि का आंशिक भाग पार्क एवं डिस्टिक पार्क तथा अवशेष भाग केन्द्रीय कियाओं भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है। प्राधिकरण द्वारा कानुपर महायोजना–2021 के प्रभावी होने से पूर्व स्वर्ण जयंती विहार योजना फेस–5 विस्तार का पार्ट ले–आउट प्लान (प्रति संलग्न) तैयार कराया गया था जो पूर्व महायोजना–1968–91 के प्राविधानों पर आधारित था जिसका अनुमोदन दिनांक 14.03.2005 को हुआ। उक्त योजनाओं की भूमि के भू–उपयोग निर्धारण के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का अमिमत प्राप्त किये जाने हेतु कार्यालय का पत्र संख्या–डी/137/उपा/न0नि0/का0वि0प्रा0/2017–18 दिनांक–31.01.2018 प्रेषित किया था। उक्त पत्र के कम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्र संख्या–2958/व.नि.(3)/कानपुर विविध/2017–18 दिनांक 20.02.2018 प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा महायोजना में किये गये उल्लेखों एवं प्राविधानों के अनुसार परीक्षण करते हुए अपना अमिमत प्रेषित किया गया है जिसके अनुसार सन्दर्भित भूमि का भू–उपयोग आवासीय निर्धारित होता है।

उक्त के आधार पर ही अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास(अफोर्डेबल हाउसिंग इन–पार्टनरशिप) योजना का तलपट मानचित्र तैयार कराया गया है जिसका नियोजन की दृष्टि से परीक्षण कर लिया गया है। दिनांक 14.03.2005 को अनुमोदित स्वर्ण जयंती विहार योजना फेस–5 विस्तार के पार्ट ले–आउट प्लान के अन्तर्गत आने वाले भूमि पर आवासीय कियाएं ही नियोजित की गयी हैं।भागीरथी एवं जान्हवी आवासीय योजना के तलपट मानचित्र का अंश भाग केन्द्रीय कियाए भू–उपयोग के अन्तर्गत आता है। उस पर महायोजना के जोनिंग रेग्युलेशन के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य कियाएं ही नियोजित की गयी हैं। अवशेष भाग जो डिस्टिक पार्क भू–उपयोग के अन्तर्गत आता है को प्रस्तुत तलपट मानचित्र में यथावत रखा गया है। उक्त तलपट मानचित्र का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

योजनांतर्गत भूमि का कुल क्षेत्रफल	462859.37 वर्ग मी0
पार्क/ग्रीन	70181.11 वर्ग मी0
कामर्शियल	45800.93 वर्ग मी0
कम्युनिटी फैसिलिटी	44324.09 वर्ग मी0
मिश्रित उपयोग	51432.00 वर्ग मी0
आवासीय	123005.93 वर्ग मी0
सड़क	128115.31 वर्ग मी0
इकाईयॉं (अण्डर पी0एम0ए0वाई0)	2208 नग

अतः उपरोक्तानुकम में अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास(अफोर्डेबल हाउसिंग इन–पार्टनरशिप) योजना का निजी कन्सलटेन्ट से तैयार कराये गये तलपट मानचित्र को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु अग्रसारित करने का कष्ट करें।

12/3/18 12/3/18 (TRACER) 12/3/18 TP

12/3 SE 12/3/18 EE 12/3/18 12/3/18

Scanned by CamScanner

का0 वि0 प्रा0

का0 वि0 प्रा0

लेख एवं अज्ञायें

नगर नियोजक / CE / सचिव महोदय / VC Sir

कृपया गत पृष्ठ संख्या–01, 03, 05 व 07 पर अभियंत्रण विभाग की आख्या का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास(अफोर्डेबल हाउसिंग इन–पार्टनरशिप) योजना के अन्तर्गत कानपुर विकास प्राधिकरण को आवास बनाने का लक्ष्य किया गया है। उक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अभियंत्रण विभाग द्वारा प्राधिकरण की पूर्व आवासीय योजना भागीरथी एवं जान्हवी की भूमि पर संयुक्त रूप से निजी कन्सलटेन्ट मैसर्स ऐरिनम कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्रा0लि0, लखनऊ द्वारा तलपट मानचित्र तैयार कराया गया है, जिस पर स्थलीय सत्यापन करते हुए अभियंत्रण विभाग द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

कानपुर महायोजना–2021 के प्रविधानो के अनुसार भागीरथी एवं जान्हवी आवासीय योजनाओं के तलपट मानचित्रों का परीक्षण पूर्व में किया गया था जिसके अनुसार सन्दर्भित भूमि का आंशिक भाग पार्क एवं डिस्टिक पार्क तथा अवशेष भाग केन्द्रीय कियाओं भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है। प्राधिकरण द्वारा कानुपर महायोजना–2021 के प्रभावी होने से पूर्व स्वर्ण जयंती विहार योजना फेस–5 विस्तार का पार्ट ले–आउट प्लान (प्रति संलग्न) तैयार कराया गया था जो पूर्व महायोजना–1968–91 के प्राविधानों पर आधारित था जिसका अनुमोदन दिनांक 14.03.2005 को हुआ। उक्त योजनाओं की भूमि के भू–उपयोग निर्धारण के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु कार्यालय का पत्र संख्या–डी / 137 / उपा / न0नि0 / का0वि0प्रा0 / 2017–18 दिनांक–31.01.2018 प्रेषित किया था। उक्त पत्र के कम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्र संख्या–2958 / व.नि.(3) / कानपुर विविध / 2017–18 दिनांक 20.02.2018 प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा महायोजना में किये गये उल्लेखों एवं प्राविधानों के अनुसार परीक्षण करते हुए अपना अभिमत प्रेषित किया गया है जिसके अनुसार सन्दर्भित भूमि का भू–उपयोग आवासीय निर्धारित होता है।

उक्त के आधार पर ही अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास(अफोर्डेबल हाउसिंग इन–पार्टनरशिप) योजना का तलपट मानचित्र तैयार कराया गया है जिसका नियोजन की दृष्टि से परीक्षण कर लिया गया है। दिनांक 14.03.2005 को अनुमोदित स्वर्ण जयंती विहार योजना फेस–5 विस्तार के पार्ट ले–आउट प्लान के अन्तर्गत आने वाले भूमि पर आवासीय कियाएं ही नियोजित की गयी हैं।भागीरथी एवं जान्हवी आवासीय योजना के तलपट मानचित्र का अंश भाग केन्द्रीय कियाए भू–उपयोग के अन्तर्गत आता है। उस पर महायोजना के जोनिंग रेग्युलेशन के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य कियाएं ही नियोजित की गयी हैं। अवशेष भाग जो डिस्टिक पार्क भू–उपयोग के अन्तर्गत आता है को प्रस्तुत तलपट मानचित्र में यथावत रखा गया है। उक्त तलपट मानचित्र का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:–

योजनांतर्गत भूमि का कुल क्षेत्रफल	462859.37 वर्ग मी0
पार्क / ग्रीन	70181.11 वर्ग मी0
कामर्शियल	45800.93 वर्ग मी0
कम्युनिटी फैसिलिटी	44324.09 वर्ग मी0
मिश्रित उपयोग	51432.00 वर्ग मी0
आवासीय	123005.93 वर्ग मी0
सड़क	128115.31 वर्ग मी0
इकाईयॉ (अण्डर पी0एम0ए0वाई0)	2208 नग

अतः उपरोक्तानुकम में अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास(अफोर्डेबल हाउसिंग इन–पार्टनरशिप) योजना का निजी कन्सलटेन्ट से तैयार कराये गये तलपट मानचित्र को प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु अग्रसारित करने का कष्ट करें।

12/3/18 12/3/18 (TP) 12/3/18 TP.

12/3 SE 12/3/18 CE 12/3/18 12/3/18

Scanned by CamScanner